(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः–

पूनम मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 125/2023

जीसीएमएस नम्बर :– 2023/448

1. ओमप्रकाश पुत्र भूराराम जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझनूं राज0

...............वादी

बनाम

1. दरियासिंह पुत्र पीरिया जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझनूं राज0
2. बजरंग पुत्र पीरिया जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
3. मुकेश कुमार पुत्र पीरिया जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
4. राजू पुत्र पीरिया जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
5. विनोद पुत्र पीरिया जाती अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
6. सन्तोप देवी पत्नि दरियाव सिंह जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
7. मनीष पुत्र मुंशी जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
8. रवि कुमार पुत्र मुंशी जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
9. शारदा देवी पत्नी मुंशीराम जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
10. मुकेश देवी पत्नी राज जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
11. सरला देवी पत्नी विनोद जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
12. सरोज देवी पत्नी मुकेश जाति अहीर निवासी पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बुहाना जिला झुंझुनूं राज0

...............प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.31 13:23:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

दावा बाबतः— खाता विभाजन

—:निर्णयः— दिनांकः— 10/12/2025

(1). वादी का वादपत्र रहा किः—

1. यह कि वाके ग्राम पचेरी खुर्द तहसील बुहाना में स्थित कृषि भूमि जमाबंदी संवत 2075 2078 के खाता स. 9 के खसरा न. 1095 रकबा 0.58 है. खसरा नं. 1474/1096 रकबा 0.43 है. कुल किता 2 कुल रकबा 1.01 है. के खातेदार वादी व प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। खातेदार वादी का भाग 19/101 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी व प्रतिवादीगण ने विवादित वादवर्णित कृषि भूमि का मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा बाहमी बंटवारा के मुताबिक पक्षकार अपने—अपने हिस्से पर शानिपूर्वक काबिज काश्त है।
2. यह कि विवादित वाद वर्णित कृषि भूमि का खातेदार काश्तकारों ने बाहमी बँटवारा कर रखा है तथा उक्त बाहमी बंटवारा के मुताबिक सभी काश्तकार अपने—अपने हिस्से पर शांति पूर्वक रूप से काबिज काश्त है। वादी ने अपने हिस्से की भूमि को और अधिक उपजाऊ करने के लिए खाद डालकर समतल कर अधिक उपजाऊ किया है पेड़—पौधे लगाये है तथा वादी मोके पर शानिपूर्वक अपने—अपने हिम्मे पर काबिज काश्त है। खातेदार मिश्री पत्नी पीरिया का देहान्त हो गया है उसके स्थान पर उसक विधिक वारिसान प्रतिवादी स. 1 लगायत 5 को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है तथा खातेदार मोहरिया पुत्र मंगला का देहान्त हो चुका है।
3. यह कि विवादित वाद वर्णित कृषि भूमि के खातेदार 5 रोज पूर्व वादी अपने हिस्से व बाहमी बंटवारे के मुताबिक कब्जेशुदा कृषि भूमि को काश्त करने लगे तो वादी को उसके हिस्से व कब्जेशुदा भूमि को काश्त नहीं करने दिया तो वादी ने प्रतिवादीगण की विवादिन वादवर्णित कृषि भूमि का खाता विभाजन करवाने को कहा तो प्रतिवादी ने खाता विभाजन करवाने से इनकार कर दिया तथा वादीगण के कब्जेशुदा भूमि के काश्त करने में दखलंदाजी करने लगे तब दावा के लिए आधार विवाद पैदा हुआ। अतः यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ।
4. यह कि विवादित वादवर्णित कृषि भूमि का पक्षकारान ने मोके पर अपने—अपने हिस्से अनुसार बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा बाहमी बंटवारा के अनुसार मोके पर काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण गत 5 रोज से लगातार [illegible] दे रहे हैं कि वह वादी के हिस्से व कब्जे की भूमि पर जबरन लठ के बल पर कब्जा कर निर्माण कार्य करेंगे। वादी को उनके हिस्से व कब्जे में बेदखल [illegible] द्वारा ऐसा कर दिया जाता है तो वादी को अपुर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादीगण द्वारा गत 5 रोज में वादी के हिस्से व कब्जेशुदा भूमि पर जबरन लठ के

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.31 13:23:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

बल पर कब्जा कर बाहुबली को बेचान करने की धमकी देने से आधार विवाद–पैदा हुआ अतः दावा अन्दर मियाद पेश है।

5. यह कि विवादित वाद वर्णित कृषि भूमि वाके ग्राम पचेरी खुर्द तहसील–बुहाना झुंझनू में स्थित है जो कि माननीय न्यायालय हाजा की सीमा में स्थित है इसलिये वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को ही है।
6. यह कि वाद पत्र निर्धारित न्यायालय शुल्क पर श्रीमानजी की सेवामे पेश है।
7. यह कि वादी का शपथ पत्र संलग्न वाद पत्र है।
8. यह कि राजस्व रिकार्ड की सत्य प्रतिलिपि लेने के बाद राजस्व रिकार्ड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:–

(क) कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगंण इस आशय का डिक्री फरमाया जावे कि वाके ग्राम पचेरी खुर्द तहसील बुहाना में स्थित कृषि भूमि जमाबंदी संवत 2075 सें 2078 के खाता स. 9 के खसरा न. 1095 रकबा 0.58 है. खसरा न. 1474 / 1096 रकबा 0.43 है. कुल किला 2 कुल रकबा 1.01 है. के वादी भाग 19 / 101 हिस्सा का खातेदार काश्नकार दर्ज राजस्व रिकोर्ड है। वादी के कदीमी बाहमी बटवारा, हिस्से व कब्जे अनुसार तथा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवम रास्तो सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को मध्य नजर रखते हुए रास्ता कायम कर खाता विभाजन किया जाकर अलहेदा लगान व अलहेदा खाता कायम किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी संख्या 1 व 6 की और से श्री अनुप सिंह एडवोकेट द्वारा वकालतानामा पेश किया गया, जवाब हेतु कई अवसर दिये गये। जवाब पेश नही हुआ जवाब बंद किया जाता है। तथा शेष प्रतिवादीगण बावजूद तामील होने पर अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में दिनांक 02.06.2025 को लाई गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। दावा खाता विभाजन का है। अतः न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री दिनांक 02[illegible] को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के क्रमांक 544 दिनांक 07.07.2025 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के [illegible] दिनांक 01.10.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.31 13:23:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया ।

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र, दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्रे पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075—2078 वाके ग्राम पचेरी खुर्द स्थित भूमि हाल खाता संख्या 09 में वादी के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

—::आदेश::—

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 में स्थित कृषि भूमि जमाबंदी संवत 2075 से 2078 के खाता संख्या 9 के खसरा नम्बर 1095 रकबा 0.58 हैक्टर खसरा नम्बर 1474 / 1096 रकबा 0.43 हैकटर कुल किला 2 कुल रकबा 1.01 हैक्टर मे वादी का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ—1 लगायत अ—5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ—1 लगायत अ—5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग—अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग—अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ—1 लगायत अ—5" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।"

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 10/12/2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.31 13:23:18 IST
Reason: SelfAttested

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– पूनम मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 125 / 2023 जीरीएमएस नम्बर :– 2023 / 448

ओमप्रकाश बनाम दरिया सिंह आदि

दावा बाबत – खाता विभाजन

–:निर्णयः–

वादीगण की ओर से **श्री अशोक यादव एडवोकेट** की व प्रतिवादी संख्या 1 व 6 की ओर से श्री अनुप सिंह एडवोकेट की उपस्थिति एवं शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को **पूनम मीणा उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम पचेरी खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनू राज0 में स्थित कृषि भूमि जमाबंदी संवत 2075 सें 2078 के खाता संख्या 9 के खसरा नम्बर 1095 रकबा 0.58 हैक्टर खसरा नम्बर 1474 / 1096 रकबा 0.43 हैकटर कुल किला 2 कुल रकबा 1.01 हैक्टर मे वादी का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 10/12/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.31 13:23:18 IST
Reason: SelfAttested

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना